न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 252 सन 2022
अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. छत्तुराम पुत्र रामचन्द जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी रामचन्द जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. ओमपति पुत्री रामचन्द जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. गीतादेवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/48 की कुल 10.7980हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि रामचन्द्र पुत्र कानाराम के के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है रामचन्द्र पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 वादी की माता/बहने है एवं रामचन्द्र पुत्र कानाराम की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने ब बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है रामचन्द्र पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पाने के अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्यात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/48 की कुल 10.7980हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि रामचन्द्र पुत्र कानाराम के के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है रामचन्द्र पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं रामचन्द्र पुत्र कानाराम की पत्नी/पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/48 की कुल 10.7980हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि रामचन्द्र पुत्र कानाराम के के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है रामचन्द्र पुत्र कानाराम का देहान्त हो चुका है रामचन्द्र पुत्र कानाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड मं दर्ज

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/48 की कुल 10.7980हैक्‍ में से 1/3 हिस्सा भूमि रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम सें दर्ज है मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब 2.587हैक्‍ एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1.0120हैक्‍ भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. छत्तुराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. शान्ति पत्नी रामचन्द जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. ओमपति पुत्री रामचन्द जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. गीतादेवी पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. कलावती पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवाल निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 252 सन 2022 निर्णय दिनांक–05/05/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 52/48 की कुल 10.7980हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि रामचन्द्र पुत्र कानाराम के नाम सें दर्ज है मृतक रामचन्द्र का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब 2.587हैक एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1.0120हैक भूमि की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/05/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner